

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 10721 आवेदन सं0 18
 चूंकि श्री Arun Kumar

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये।
 (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता0 1988 से ता0 will dated तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता धला

धिला है अतः

10721

क्र0सं0	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र0 निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मार्ग- Salempur Gumar P.L. Gordeni 188 P.S. 10 खतबे 15195 खतबे 122, 214, 223 प्लॉट 25, 50, 51 अरक 23.8359 decimal,							

Apana Sapana Construction & Developers Pvt. Ltd.

अवकाश कुमार

Managing Director

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें ।
2. बंधक-पत्र की दिशा व्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें । बशर्तें की उनके बारे में उल्लेख हो ।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें ।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवधारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है ।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर): *M. Hussain*

(पदनाम): *M.D.C.*

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :

(हस्ताक्षर): *[Signature]*

(पदनाम): *[Signature]*

कार्यालय: *pathe*

तारीख:



मुख्य एवं निबंधन प्रदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुत संपत्ति के अनुसार पाये गये हैं । यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखया गया हो तो वेसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (एन्जेकरन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे ।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति (बाह्यो) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रवृत्तियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी । विहित फीस का भुगतान करने पर वहियाँ और अनुक्रमणियों उनके पास सामने रखदी जायेगी ।

(न) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा ।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद दूँडे गये संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दूँडे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो ।

कार्यालय, अवर निबंधक, _____

ज्ञाप संख्या 10676

दिनांक 29.12.18

आवेदक श्री Arjun Kumar

का रूपभार प्रमाण-पत्र द्वारा manager canara Bank Exhibition Road pathe

का उनके पत्र संख्या _____ दिनांक 11/12/18 के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है ।

[Signature]
निबंधन प्रदाधिकारी
pathe
29.12.18